

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गइ कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पाकुड़।

लगान धार्य वाद सं०-13/2022-23

:- आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक-240/रा०, दिनांक-02.03.2023 द्वारा आवेदिका फातेमा बीबी, पति-मो० नाजिमुद्दीन मंडल, सा०-कानीझाड़ा, थाना-महेशपुर का अंचल महेशपुर के अन्तर्गत मौजा-चापतुड़ा थाना नं०-288, जमाबंदी सं०-103, दाग नं०-234 में निबंधित केवाला सं०-4659 दिनांक-26.10.1990 द्वारा रकवा-00बी०-06क०-00धूर एवं केवाला सं०-4658 दिनांक-26.10.1990 द्वारा रकवा-00बी०-07क०-10धूर कुल रकवा-00बी०-13क०-10धूर प्राप्त भूमि का लगान धार्य हेतु आवेदन प्रपत्र "एम०" में चार प्रति में प्रतिवेदन एवं भूमि दस्तावेज की छायाप्रति के साथ लगान धार्य अभिलेख सं०-02/22-23 अनुशंसा सहित प्राप्त है। प्रपत्र एम० एवं अभिलेख में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-चापतुड़ा के खाता सं०-103 दाग नं०-234 रकवा-24बी०-04क०-00धूर किस्म बाड़ी दोयम खतियान में राम नारायण सिंह दिगार के नाम से दर्ज है। आवेदिका को आवेदित दाग का कुल रकवा में से 00बी०-06क०-00धूर निबंधित केवाला सं०-4659/26.10.1990 एवं 00बी०-07क०-10धूर भूमि निबंधित केवाला सं०-4658/26.10.1990 के माध्यम से प्राप्त है एवं इसपर दखल स्वरूप आवेदिका का आम बगान है। आवेदित दाग का खतियान लगान रहित है। राजस्व वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए आवेदित भूमि का वार्षिक लगान प्रतिवर्ष 10 (दस) रुपये प्रति बीघा अलावे सेस की दर से आवेदिका का कुल रकवा-00बी०-13क०-10धूर भूमि के लिए सलाना 7.00 (सात) रुपये के अलावे सेस की दर से लगान धार्य की अनुशंसा की गई है।

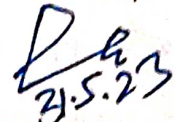
इस कार्यालय द्वारा 16 आना रैयत मौजा-चापतुड़ा, जमाबंदी नं०-103 को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16 आना रैयत से नोटिस प्राप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

Da

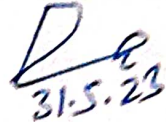
अतः अंचल अधिकारी, महेशपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्व आ-  
में वृद्धि के उद्देश्य से आवेदित दाग नं०-234 में आवेदिका फातेमा बीबी पति मो०  
नाजिमुद्दीन मंडल, कानीझाड़ा, पो०-धर्मखाँपाड़ा, थाना-महेशपुर के नाम से  
मौजा-चापतुड़ा 288 के दाग नं०-234, जमाबंदी नं०-103 में कुल रकबा-00वी०-  
13क०-10धूर भूमि का लगान धार्य 8.00 (आठ) रुपये वार्षिक अलावे रोस के दर से  
करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय  
होगा। प्रपत्र एम० में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम० एवं आदेश की प्रति अंचल  
अधिकारी, महेशपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित,

  
21.5.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
पाकुड़।

  
31.5.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
पाकुड़।